II-157
C.J.

Witness No---04----for----------Prosecution --------Deposition taken on the---10th ----day of -May 2018 -Witness apparent age- 45 year

States on affirmation that-----My name is-- .निर्मला देवांगन.....

W/ of – सीताराम देवांगन **--occupation- व्यवसाय**.....

address—बिरगॉव, थाना–उरला, जिला रायपुर छ0ग0.....

1. मै न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानती हूॅ, वह मेरा किरायेदार था। आरोपी मेरे मकान के उपर वाले घर में किराये से अपनी पत्नी के साथ रहता था। कांति सिंह को भी जानती हूॅ वह आरोपी की पत्नी है। आज से लगभग 06 माह पूर्व समय 04:00 बजे दिन समय मै अपनी दुकान पर थी। उसी समय उपर वाले घर से कुछ आवाज सुनाई दी तो मै उपर गई तो आरोपी घर की सीढी में खडा था तथा कांति कमरे में खून से लथपथ पडी थी। उसी समय वहॉ पर मोहल्ले के कुछ लोग आ गये थे उन्होंने एम्बुलेश को बुलाया था। मैंने आरोपी से कहा कि तुम पुलिस के सामने सरेंडर हो जाओ । उसके बाद आरोपी थाने गया था और वहॉ पर सरेंडर हो गया था। उसके बाद कांति को 108 वाहन में लेकर उसकी मॉ मेकाहारा अस्पताल ले गयी थी।

2. आरोपी जब सीढी पर खडा था तब वह कुछ नहीं बोल रहा था। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

नोटः– इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजन द्वारा निवेदन किया गया कि साक्षी सत्यता छिपा रहा है इसलिए उसको पक्षविरोधी घोषित किया जाये । प्रकरण के अवलोकन उपरांत साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया जाता है तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक को साक्षी के प्रतिपरीक्षण के अनुमति प्रदान की जाती है।

3. यह कहना सही है कि जब आरोपी सीढी पर खडा था उस समय उसके हाथ में चाकू था। यह कहना सही है कि आरोपी बोल रहा था कि अपनी पत्नी को चाकू मार दिया हूॅ।

Witness No---04----for----------Prosecution --------Deposition taken on

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्रीमती संध्या शर्मा अधिवक्ता वास्ते आरोपीः–</u>

4. आरोपी एवं पीडिता घटना से लगभग एक वर्ष पूर्व से मेरे मकान में किराये पर रह रहे थे। मेरे मकान में इनके अतिरिक्त दो अन्य किरायेदार भी थे। उक्त तीनों किरायेदार एक–एक कमरे में किरायेदार थे। वे प्रथम तल पर किरायेदार थे तथा मै नीचे रहती थी। मै अपने पूरे परिवार के साथ नीचे रहती थी। यह कहना सही है कि धनंजय सुबह 08:00 बजे निकलता था और शाम को 06:00–7:00 बजे आता था। स्वतः कहा कि वह सिफ्टो में काम करता था, कभी सुबह जाता था कभी शाम को जाता था।

5. यह कहना सही है कि पिछले एक डेढ सालों से पति पत्नि के बीच झगडा नही हुआ वे बहुत प्रेम से रहते थे। धनंजय अपने परिवार को राशन पानी समान वगैरह अपनी पत्नी को मुहैया कराता था। यह कहना सही है कि मैने घटना अपनी आंखों से नहीं देखा। यह कहना सही है कि मुझे बाद में घटना के बारे में पता चला।

वांचित/स्वीकृत
सही/–
(सुरेश जून)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश
के द्वितीय अति. न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निदेशन पर टंकित ।
सही/–
(सुरेश जून)
प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश
के द्वितीय अति. न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर.....

II-157
C.J.

Witness No---04----for----------Prosecution --------Deposition taken on

|